बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विस्तृत सूचना

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2022 एवं विज्ञापन संख्या 04/2022 के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित अभ्यावेदनों में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण के लिए आयोग एवं शिक्षा विभाग, बिहार के बीच सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में स्थिति निम्नवत् हैः–

A. विज्ञापन संख्या–02/2022

1. यदि राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक CBSE अथवा अन्य संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में चयन के पश्चात् नियुक्त होकर कार्यरत हैं तो ? वैसे शिक्षकों के अनुभव की गणना किस प्रकार की जाएगी ?

   निर्णयः– पंचायतीराज/नगर निकाय संस्था अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु नियमावली, 2021 के नियम 6(v) के कंडिका–ख एवं घ में पूर्व से वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त उक्त पृच्छा के आलोक में निम्न रूपेण स्थिति स्पष्ट किया गयाः–

(i) यदि पूर्व में CBSE/ICSE/BSEB द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो एवं बाद में पंचायतीराज/नगर निकाय संस्था में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़ कर न्यूनतम 12 वर्ष की अनुभव अवधि मान्य होगी।

(ii) यदि पूर्व में CBSE/ICSE/BSEB द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर कार्यरत रहे हो एवं बाद में पंचायतीराज/ नगर निकाय संस्था में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में प्राप्त अनुभव दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़ कर न्यूनतम 10 वर्ष की अनुभव अवधि मान्य होगी।

2. कम्प्यूटर शिक्षक द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर आवेदन करने का अवसर देने का अनुरोधः–

   निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार जिला परिषद्/नगर निकाय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सेवा नियमावली–2020 के नियम–7 (ख) में कम्प्यूटर एवं संगीत शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर/समतुल्य योग्यता अनिवार्य है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु बी॰एड॰/बी॰ए॰एड॰/बी॰एससी॰एड॰ की डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। किन्तु उक्त कोटि के शिक्षक यदि सेवा काल में या पूर्व से बी॰एड॰/बी॰ए॰एड॰/बी॰एससी॰एड॰ की डिग्री धारित करते हो तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो तो वे भी विज्ञापन संख्या–02/2022 के लिए अर्हित माने जायेंगे। इनके अनुभव की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि, जो बाद की तिथि हो, के आधार पर ही की जाएगी।

B. विज्ञापन संख्या–04/2022

1. शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु (ICSE & CBSE), CTET and CSB अनुभव प्राप्त को शामिल नहीं किये जाने के संबंध मेंः–

   निर्णयः– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधान शिक्षक के पद पर ICSE & CBSE , CTET and CSB एवं अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किये गए शैक्षणिक कार्य के अनुभव अवधि की गणना

का प्रावधान "बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2021" में नहीं हैं। तद्नुसार उक्त अभ्यावेदन विचारणीय नहीं हैं।

2. प्रधान शिक्षक के लिए 08 वर्ष लगातार सेवा की बाध्यता को शिथिल करने के संबंध में:–

निर्णय:– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रधान शिक्षक के पद हेतु नियुक्ति नियमावली के नियम 6 (v) (क) के आलोक में अनुभव के प्रावधान को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है।

3. **(क)** में उल्लिखित 08 वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों का सेवा सम्पुष्ट होना चाहिए या नहीं।
(ख) स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा सम्पुष्ट हो चुकी है, उनके लिए भी उक्त 08 वर्ष अनुभव की अनिवार्यता है या नहीं।
(ग) साथ ही कौन सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र जारी करेंगे एवं कौन अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेंगे। साथ ही दोनों प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या होगा ?
निर्णय:– पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत मूल कोटि/स्नातक शिक्षक, जिनकी सेवा लगातार 02 वर्ष पूरी हो चुकी हो, उनकी सेवा संपुष्ट मानी जाएगी। इसके लिए अलग से किसी प्रमाण पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

जहाँ तक मूल कोटि के शिक्षकों के लिए 08 वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रश्न है, इस संबंध में विभाग के स्तर से दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे है। स्नातक शिक्षक के लिए अनुभव की अनिवार्यता नहीं है।

4. a. पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत कला एवं शिल्प महाविद्यालय द्वारा करायी जाने वाली ललित कला में स्नातक की डिग्री (पूर्व में पांच वर्ष एवं 2012 के बाद चार वर्ष) डी॰एल॰एड॰/बी॰एल॰एड॰ के समतुल्य माना गया है या नही ? अगर हॉ, तो क्या वैसे डिग्रीधारी वह आवेदन कर सकते है?
निर्णय:– ललित कला में स्नातक की डिग्री डी॰एल॰एड॰/बी॰एल॰एड॰ के समकक्ष/समतुल्य नहीं मानी जाएगी।

b. वि॰सं॰–02/2022 के तहत सी॰बी॰एस॰ई॰/आई॰सी॰एस॰ई॰/बी॰एस॰ई॰बी॰ से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता दी गयी है, लेकिन वि॰सं॰–04/2022 में प्रधान शिक्षक के तहत सी॰बी॰एस॰ई॰/आई॰सी॰एस॰ई॰/बी॰एस॰ई॰बी॰ से स्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता देने के संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित है:–
निर्णय:–उपरोक्त कंडिका–B(1) में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

5. प्रधान शिक्षक नियमावली, 2021 के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में CWJC No- 16633/2021 में वाद दायर किया गया है। उक्त वाद में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इस वाद में पारित अंतिम आदेश का इस विज्ञापन में प्रभाव के संबंध में मार्गदर्शन अपेक्षित है:–

निर्णय:– CWJC No- 16633/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतिम आदेश के आलोक में विभाग द्वारा यथासमय निर्णय लिया जाएगा। तत्काल उक्त वाद में दिनांक–05.01.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा।

6. दिनांक–05.10.2021 को CWJC No-16633/2021 में मा॰ उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना में हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण (Version) में अंतर का उल्लेख है। स्थिति स्पष्ट की जा सकती है:–

निर्णय:– प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना में हिन्दी रूपान्तरण (Version) के अनुरूप अंग्रेजी रूपान्तरण में भी आवश्यक संशोधन कर उक्त आशय से माननीय उच्च न्यायालय को विभाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर कर अवगत कराया जा चुका है।

7. बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2021 के नियम–6 में प्रधान शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्त्ता निर्धारित की गयी है। नियमावली के नियम 6 (iii) में "मान्यता प्राप्त संस्था से डी॰एल॰एड॰/बी॰टी॰/बी॰एड॰/बी॰ए॰एड॰/बी॰एससी॰एड॰/बी॰एल॰एड॰ उत्तीर्ण होना" अंकित है।

विभागीय अधिसूचना संख्या–371 दिनांक–01.04.2022 द्वारा उक्त नियमावली के नियम–20 में निहित प्रावधान के तहत नियमावली के नियम 6 (iii) में अंकित अहर्त्ता यथा डी॰एल॰एड॰ के समकक्ष द्विवर्षीय डी॰पी॰ई॰ (छः माह संवर्धन के साथ) को माना गया है। प्रधान शिक्षक से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के प्रशिक्षण अहर्त्ता में डी॰पी॰ई॰ (छः माह संवर्धन कोर्स सहित) को भी सम्मिलित कर कार्रवाई की जा रही है।

तद्नुसार विज्ञापन के शर्तों को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त संशोधन के आलोक में ऑलाईन आवेदन में आवश्यक सुधार कर दिया गया है। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।